राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18–19/ 6518-26 दिनांक : 6/2/19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
बांसवाडा।

विषय : सामुदायिक भवन निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : विकास अधिकारी, पं.स. तलवाडा जिला बांसवाडा का पत्रांक 32 दिनांक 01.02.2019 पर माननीय मंत्री महोदय, टीएडी द्वारा स्वीकृति जारी करने के निर्देश के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विकास अधिकारी, पं.स. तलवाडा जिला बांसवाडा का पत्रांक 32 दिनांक 01.02.2019 पर माननीय मंत्री महोदय, टीएडी द्वारा निम्नलिखित सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने के निर्देश प्रदान किये।

प्राप्त निर्देशों के क्रम मे निम्नलिखित कार्यो की पंचायत समिति तलवाडा से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या–6 मे वर्णित राशि अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है –

कार्यकारी एजेन्सी–ग्राम पंचायत

(राशि लाख रू)

क्र.स.	सामुदायिक भवन का नाम व स्थान	ग्रा.प.	खसरा नं.	तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि	राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	मकवाना बस्ती बोरवट	बोरवट	262	1023/01.02.2019	5.00
2	कान्ति/ हुरजी के घर के सामने, धनपुरा	बोरवट	353	102/01.02.2019	5.00
3	भैरवजी मंदिर के पास धनपुरा बोरवट	बोरवट	506	1025/01.02.2019	5.00
4	कल्लाजी मंदिर के पास ढोडापाडा बोदना बोरवट	बोरवट	225	1026/01.02.2019	5.00
				योग	**20.00**

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1)मद अन्तर्गत जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के स्वीकृति पत्र क्रमांक F.NO.11015/04(20)/2018-Grants शास्त्री भवन नई दिल्ली दिनांक 26.12.2018 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि रू. 500.00 लाख मे से होगा।

परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा पी.डी. खाते मे उपलब्ध राशि मे से प्रथम किश्त संबंधित पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तांतरित करे।राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर **पुर्नभरण कर दिया जायेगा।**

शर्ते :–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारंभ कराया जावे। प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
3. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से

अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। **आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावें।**

5. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. निर्माण पश्चात् सामुदायिक भवन का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही राशि हस्तांतरित की जावे।
8. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)I.A.S
आयुक्त

एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18–19/ 6518-26 दिनांक : 6/2/19
प्रतिलिपि –

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
6. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)